# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 116/2020
3. उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर

बनाम

1. फर्म मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, 23, गणेशपुरी कालोनी रावल जी का बन्धा, खातीपुरा रोड जयपुर।
2. श्री हनुमन्त सिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह, व्यवस्थापक फर्म, निवासी 23, गणेशपुरी कालोनी रावल जी का बन्धा, खातीपुरा रोड जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27-05-25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, सुरेन्द्र सिंह बारेठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.05.2007 को सूचना पर मय स्टाफ अवैध रुप से नीले केरोसीन का भण्डारण कर रबड, सील, कम्पाउन्ड तैयार करने की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स पर पंहुचे। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित मिले। उक्त मकान में पीछे के भाग में एक कमरे मे 7 ड्रमों तथा लोहे की 6 छोटी ड्रमियों में नीला केरोसीन भरा पाया गया जिसे एफपीएस डीलर श्री रामजी लाल को बुलाकर मापा गया तो कुल 1550 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। व्यवस्थापक फर्म ने बताया कि इस केरोसीन का उपयोग रबड सील कम्पाउन्ड बनाने में रॉ मेटेरियल के रुप में लिया जाता है। इसी परिसर में 1 घरेलू सिलेण्डर को रबर सील कम्पाउन्ड बनाते हुए वाणिज्यिक उपयोग करता हुआ पाया गया। केरोसीन के खरीद के बिल मौके पर पेश नहीं किये ना ही केरोसीन खरीद के बाबत कोई जवाब दिया। ऐसी स्थिति में मौके से नीला केरोसीन 1547.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) मय 7 बारदाना व 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.07.2008 को जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी पत्नी के नाम से औद्योगिक ईकाई को केरोसीन तेल उपलब्ध कराने हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर से विशेष राशन कार्ड संख्या 17105 प्राप्त कर रखा है जिसके तहत आयातित केरोसीन तेल(फ्री केरोसीन) बाजार से डिनियन बिलों द्वारा क्रय किया जाता है तथा रबर, सील, कम्पाउन्ड बनाने के लिये जो उर्जा की जरुरत होती है, के लिये कांकरिया गैस सर्विस से व्यवसाय के उपयोग के लिये चार सिलेण्डर प्राप्त कर रखे हैं। उक्त संस्थान अपने उद्योग कार्यों के लिये आयातित केरोसीन तेल काम लेती है, उसके लिये नियमानुसार अनुमति जिला रसद अधिकारी जयपुर से प्राप्त कर रखी है तथा फ्री तेल केरोसीन तेल बाजार से क्रय जाता है। अप्रार्थी के यहां से न तो केरोसीन तेल जब्त हुआ है ना ही वह केरोसीन तेल का कारोबार करता है और ना ही तेल का कोई स्टॉक अप्रार्थी के यहां था। उक्त संस्थान में घरेलू गैस उपयोग में नही ली जाती, बल्कि उसके लिये व्यावसायिक कनेक्शन प्राप्त कर रखा है। प्रवर्तन अधिकारियों ने अवैध कार्यवाही कर काला तेल आयातित सफेद केरोसीन तेल, जो पुराने रंग के डिब्बों को साफ

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट ... जयपुर

करने व धोने से काला हो गया था, को अधिग्रहित कर लिया। अप्रार्थी के यहां से कोई नीला केरोसीन जब्त नहीं हुआ है।

प्रकरण में जवाब पेश करने के उपरान्त अप्रार्थीगण लगातार अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वर्ष 2009 से लगातार F.S.L. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या जब्त पदार्थ केरोसीन होना पाया गया था। पक्षकारान द्वारा भी रिपोर्ट पेश कराने का कोई प्रयास नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण में कोई जानकारी नहीं होना एवं F.S.L. रिपोर्ट हेतु अनभिज्ञता जताते हुए गुणावगुण के आधार पर एवं विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक .................. को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.05.2007 को सूचना पर अप्रार्थीगण के निवास से केरोसीन जब्त किया गया। मौके पर हनुमन्त सिंह मिले जिन्होंने बताया कि इस केरोसीन का उपयोग रबड, सील, कम्पाउन्ड बनाने में रॉ मेटेरियल के रुप में लिया जाता है। इसी परिसर में 1 घरेलू सिलेण्डर को रबर सील कम्पाउन्ड बनाते हुए वाणिज्यिक उपयोग करता हुआ पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण ने उक्त जब्त माल से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके साथ लाइसेंस व माल से संबंधित बिल भी पेश किये। जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा अंकित किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी पत्नी के नाम से औद्योगिक ईकाई को केरोसीन तेल उपलब्ध कराने हेतु जिला रसद अधिकारी जयपुर से विशेष राशन कार्ड संख्या 17105 प्राप्त कर रखा है जिसके तहत आयातित केरोसीन तेल(फ्री केरोसीन) बाजार से विनियन बिलों द्वारा क्रय किया जाता अप्रार्थीगण द्वारा जो बिल पेश किये गये हैं वो NON PDS(सफेद केरोसीन) खरीद के हैं जबकि मौके से नीला केरोसीन पाया गया है। जवाब में अंकित है कि रबर, सील, कम्पाउन्ड बनाने के लिये जो उर्जा की जरुरत होती है, के लिये कांकरिया गैस सर्विस से व्यवसाय के उपयोग के लिये चार सिलेण्डर प्राप्त कर रखे हैं। जबकि मौके से घरेलू सिलेण्डर रबर, सील, कम्पाउन्ड बनाने के काम में लिया जा रहा था। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्ट्या उक्त पदार्थ केरोसीन होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त केरोसीन (उपभोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश 1993, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं एलपीजी (रग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में नीला केरोसीन 1547.750 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) मय 7 बारदाना व 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-5-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।